

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: jsecy.tad@gmail.com Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.6 लेखा / सीटीएडी / प्रस्ताव / 275-1 / 2020-21

जयपुर, दिनांक २७/१०/२०२०

स्वीकृति सं० 21/2020-21

**आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।**

विषय – वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत Counselling centre in 25 Police Stations हेतु राशि रु. 175.00 लाख एवं Infrastructure development at places of Religious and Historical importance for Tribals हेतु राशि रु. 300.00 लाख अर्थात् कुल राशि रु. 475.00 लाख की आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग – (i) आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.6 लेखा / सीटीएडी / प्रस्ताव / 275-1 / 2020-21 में प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 12004547 दिनांक 23.10.2020 द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।
(ii) भारत सरकार की स्वीकृति क्र. 11015 / 02(20) / 2020-Grants दिनांक 23.06.2020

1. स्वीकृति – वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत Counselling centre in 25 Police Stations हेतु राशि रु. 175.00 लाख एवं Infrastructure development at places of Religious and Historical importance for Tribals हेतु राशि रु. 300.00 लाख अर्थात् कुल राशि रु. 475.00 लाख की आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2. योजना – Counselling centre in 25 Police Stations and Infrastructure development at places of Religious and Historical importance for Tribals

3. वित्तीय वर्ष – 2020-21

4. राशि – 475.00 लाख (अक्षरे राशि रु. चार करोड़ पिछहतर लाख मात्र)

5. बजट मद्द-

माँग संख्या –30

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूजीगत परिव्यय।
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।
(11)	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं
[19]	टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण
17	वृहद निर्माण कार्य

6. राशि पीडी खाते में – राशि रु. 475.00 लाख आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

7. शर्तेः—

1. राशि का उपयोग उन्हीं कार्यकर्ताओं पर किया जाएगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने होंगे।
3. स्वीकृति जारी होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत यदि कोई राशि शेष रहती है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।
4. राशि का व्यवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों/विभागों के खाते भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अंकेक्षण हेतु खुले रहेंगे।
6. राशि का व्यय नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
7. स्वीकृति से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति का रहन/बेचान राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
8. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।
9. विभाग राशि के व्यय में राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।

10. भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की प्रासंगिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें तथा जिस स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, विभाग उसी स्कीम पर यह राशि व्यय करेगा।

नोट:- 1. यह स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की एकल पत्रावली संख्या एफ.6 लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव/275-1/2020-21 पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर उन्हीं की पत्रावली पर जारी की जा रही है।

8. संलग्न— निल।

9. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय- ।।) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 12004547 दिनांक 23.10.2020 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी की गई है।


(निला गिरि)
संयुक्त शासन सचिव

10. प्रतिलिपि—

- 1 प्रमुख सचिव—मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक—मंत्री,टीएडी/निजी सचिव—अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 2 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट / लेखे)।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)
- 4 निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त स्वीकृत राशि रु. 475.00 लाख स्वीकृति में वर्णित प्रकार से उनके पी.डी. खाते में हस्तान्तरित करवाने हेतु प्रेषित है।
- 5 अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति की प्रति संबंधित संस्थाओं को अपने रत्तर से प्रेषित करने का श्रम करे।
- 6 जिला कलक्टर डूंगरपुर, राजसमन्द एवं बांसवाड़ा।
- 7 वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कोषाधिकारी को बजट ऑनलाइन आईएफएमएस. स्थानान्तरण अपने रत्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8 कोषाधिकारी, उदयपुर।
- 9 संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
- 10 एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 11 कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।
- 12 गार्ड फाईल।


लेखाधिकारी

स्वीकृति सं 21/2020-21
दिनांक - २७/१०/२०२०